न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 70 / 2020

राजकुमार अग्रवाल पुत्र ताराचंद अग्रवाल निवासी विमला सदन ,खेरापति मोहल्ला अनाहगेट भरतपुर ।

बनाम

प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलक्ट्रेट,भरतपुर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 20.10.2020

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि राजकुमार अग्रवाल पुत्र ताराचंद अग्रवाल निवासी विमला सदन ,खेरापति मोहल्ला अनाहगेट भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 09.07.2020 प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलक्ट्रेट,भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलक्ट्रेट,भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 526–27 दिनांक 22.09.2020 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर/ प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलक्ट्रेट,भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई । लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भरतपुर/ प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलक्ट्रेट,भरतपुर से जबाव प्राप्त हुआ जो संलग्न पत्रावली है ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं उपखण्ड अधिकारी भरतपुर/ प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलक्ट्रेट,भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर/ प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलक्ट्रेट,भरतपुर से उक्त सूचनाऐं दिलाये जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने अपने पत्रांक 2116 दिनांक 15.10.2020 से अवगत कराया है कि प्रार्थी द्वारा इन्हीं तथ्यों को लेकर पूर्व में भी सूचना चाही गई थी, जो इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं होने पर कार्यालय पत्रांक 08 दिंनाक 30.1.2020 से प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलक्ट्रेट भरतपुर को यह लिखते हुए अन्तरित किया गया कि सम्बन्धित रिकार्ड तत्समय ही अभिलेखागार में जमा कराया जा चुका है। इनके द्वारा सूचना उपलब्ध न कराने पर प्रार्थी द्वारा इसकी प्रथम अपील माननीय न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर में की गई । माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11.02.2020 को प्रार्थी की अपील स्वीकार करते हुए प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलक्ट्रेट,भरतपुर को वांछित सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराने हितु निर्देशित किया गया है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं पुर्व प्रस्तुत अपील के तथ्य समान हैं । प्रार्थी द्वारा पुराने तथ्यों के आधार पर ही अपील प्रस्तुत की गई है । इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

तत्पश्चात प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलक्ट्रेट,भरतपुर से प्राप्त जबाव कमांक 62 दिनांक 16.10.2020 का अवलोकन किया। प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलक्ट्रेट,भरतपुर ने अपने जबाव में अंकित किया है कि उक्त प्रकरण से सम्बन्धित रिकार्ड अभिलेखागार में जमा नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया है तथा निरस्तीकरण की सूचना प्रार्थी को दे दी गई है ।

यहां यह उल्लेखनीय है कि उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा अपने पत्र कमांक 08 दिनांक 30.01.2020 से प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलक्ट्रेट,भरतपुर यह लिखा गया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (भूमि रूपान्तरण)सें सम्बन्धित है । उक्त पद वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है जिससे सम्बन्धित रिकार्ड तत्समय ही अभिलेखागार में जमा कराया जा चुका है। दूसरी तरफ प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलक्ट्रेट,भरतपुर द्वारा यह अवगत कराना कि प्रकरण से सम्बन्धित रिकार्ड जमा नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया है । इस प्रकार दोनों जबाव परस्परिक विरोधाभाषी हैं जबकि दोनों ही जबाव एक ही अधिकारी के हस्ताक्षरों से भेजे गए हैं । इसके अलावा प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलक्ट्रेट भरतपुर द्वारा भेजा गया जबाव पूर्णतः अस्पष्ट है। जाहिर है कि प्रार्थी को वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई, जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलक्ट्रेट भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्येनजर रखते हुये तदोपरान्त ही अपीलार्थी को निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराई जावे।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलक्ट्रेट भरतपुर को पालनार्थ भेजी जावे एवं सूचनार्थ अपीलांट को भी प्रेषित हो। एक ही प्रकरण में एक समान तथ्यों की बावत बार बार अपील नहीं की जा सकती। निर्णय से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में उसके विरूद्ध सूचना आयोग जयपुर में द्वितीय अपील करने हेतु स्वतंत्र हैं।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर